न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 123/2023

GCMS No. : 2023/263

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. नारायणलाल पुत्र इन्द्राराम, जाति मीणा, निवासी खौड तहसील रानी, जिला पाली मैसर्स दुदा डेयरी केनपुरा रोड रानी (फर्म मेनेजर) 2. दुदाराम पुत्र मेघाराम जाति गुर्जर, निवासी खौड तहसील रानी, जिला पाली मैसर्स दुदा डेयरी केनपुरा रोड रानी (फर्म मालिक)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 26/09/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 30.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की डेयरी मैसर्स दुदा डेयरी केनपुरा रोड रानी पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी संख्या 01 से नाम पता पुछने पर अपना नाम नारायणलाल पुत्र इन्द्राराम बताया एवं स्वंय को डेयरी का मैनेजर होना बताया। डेयरी के निरीक्षण के दौरान डेयरी मे रखे फ्रिज में लगभग 50 लीटर मिक्स दुध रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने मिक्स दुध का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये कम्पुयटर ऑपरेटर ओमप्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की मिक्स दुध का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो मिक्स दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 110/- रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मिक्स दुध को नियमानुसार कंटेनर में पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1776 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त कीं। अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया मिक्स दुध का नमुना संख्या आर-1776 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/883/एक्ट/2023/926 दिनांक 13.04.2023 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एवं जवाब पेश नहीं किया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त मिक्स दुध Sub-standard (अवमानक) पाया गया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) मिक्स दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण की फर्म से मिक्स दुध का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है क्योकि जिस अधिकारी द्वारा प्रकरण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

न्यायालय में पेश किया है वह किस हेसियत से पेश किया उसके संबंध में पत्रावली में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं होने से प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल मिक्स दुध की पुनः जाचं हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया है। अप्रार्थी द्वारा जिस अवस्था में ग्रामीणों से दुध खरीदा जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है उसमें किसी प्रकार कि मिलावट नहीं की जाती है। उक्त मिक्स दुध का आमजन के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायी नहीं है मिक्स दुध में केवल फेट की 0.5 प्रतिशत कम है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.03.2023 को अप्रार्थी की डेयरी दुदा डेयरी केनपुरा रोड रानी से मिक्स दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1776 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये मिक्स दुध का नमुना कोड संख्या आर–1776 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया मिक्स दुध का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त मिक्स दुध Sub-standard (अवमानक) पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की डेयरी से मिक्स दुध का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानकों को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर के मिक्स दुध का विक्रय/वितरण किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) मिक्स दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

2 पर सयुंक्त रूप से 40,000/–रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली